



Estd : 1917

पटना विश्वविद्यालय

Patna University

NAAC Accredited B⁺

अधिसूचना

डा० योगेन्द्र कुमार वर्मा, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, पटना विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल दिनांक 03.12.2025 को पूरा हो चुका है। इनके कार्यकाल के पूरा होने के फलस्वरूप पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन संशोधित) की धारा 27 (5) (ए) में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति, पटना विश्वविद्यालय ने डा० मो शरीफ, प्रोफेसर, विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय को दिनांक 04.12.2025 के प्रभाव से दो वर्षों तक या सेवानिवृत्ति की तिथि दोनों में जो भी पहले हो, तक के लिए विधि संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त करने की कृपा की है।

कुलपति के आदेश से

Shalini
08-12-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

दिनांक 08-12-2025

ज्ञाप संख्या/एकेड/1836

प्रतिलिपि :- 1. सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना 2. संयुक्त सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, राजभवन, पटना 3. सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 4. सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, पटना विश्वविद्यालय 5. सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य, पटना विश्वविद्यालय 6. सभी संस्थानों के निदेशक, पटना विश्वविद्यालय 7. डा० योगेन्द्र कुमार वर्मा, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, पटना विश्वविद्यालय 8. डा० मो शरीफ, प्रोफेसर, विधि विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय 9. विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 10. प्रभारी पदाधिकारी, आई. टी. सेल, पटना विश्वविद्यालय (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु), 11. प्रबंधक, इंडियन बैंक, पटना विश्वविद्यालय शाखा पटना, 12. सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, पटना विश्वविद्यालय 13. सभी प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के संपादक, 14. कुलपति के निजी सचिव, पटना विश्वविद्यालय 15. प्रतिकुलपति के निजी सहायक, पटना विश्वविद्यालय को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

Shalini
08-12-2025
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

RB
08-12-25